

उत्तर प्रदेश गण्ड, २० फरवरी, १९६० ई० (कालगु १, १८८१ तक संवत्)

कार्यालय उपमहाप्रबंधक
दूरसंचार, परिशोजना

कार्यालय
कम सं० २५६ १५१

दिनांक १०.६.६०

पत्रा संचार निगम लिमिटेड

शुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ५११-एच-सी/३६-ए-१२१६ (एच-सी)-५९-उत्तर प्रदेश गण्ड (भाग १), दिनांक ९ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ-
संख्या ३६ पर प्रकाशित विस्तृत तथ्या ६७९७ (एच-एम)/१६-ए-१२१६ (एच-एम)-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० में राज्य
"सुपरिस्टीचिंग इन्जीनियर" के स्थान पर शब्द "सुपरिस्टीचिंग इन्जीनियर" वृत्तितः।

आशा से,
हरीश चन्द्र चपतेगा,
सचिव।

वन विभाग

विधि

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० ३११५/१४-३३१-२०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत हेतु इंडियन फारेस्ट एक्ट, १९२७ (एक्ट सं० १६,
१९२७) की धारा २१ की उपधारा (१) के अंतर्गत अधिलेखित जंगल तथा अधिलेखित कानून में दस्ता अधिनियम समय लागू कि इत बीच राज्य
पाल के अधिकारों को सुरक्षा ही बना है।

उक्त अधिलेखित उपधारा के प्रतिवाचन द्वारा और अधिलेखित कानून की धारा ६०-१ के साथ पठित उक्त धारा को उपधारा
(१) द्वारा अतिरिक्त अधिकारों का प्रयोग करने। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इत प्रकार जंगल तथा अधिलेखित कानून तक
उक्त एक्ट के धारा ५ के उपधारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

क्र.सं.	भाग संख्या	दूरी मील, फार्संग और फीटों में	विवरण
१-लेखाना	१-लेखाना-आयुध संघ	३ मील से ३१ मील २ फ०	भूमि की सीमा पत्थरों द्वारा अंकित की गई है।
२-लेखाना-आयुध संघ	२-लेखाना-आयुध संघ	१ मील से २४ मील २ फ०	"
३-लेखाना-आयुध संघ	३-लेखाना-आयुध संघ	भूमि से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	"
४-लेखाना-आयुध संघ	४-लेखाना-आयुध संघ	२ मील से १७ मील	"
५-लेखाना-आयुध संघ	५-लेखाना-आयुध संघ	२ मील से १९ मील तक	"
६-लेखाना-आयुध संघ	६-लेखाना-आयुध संघ	४१ मील से ५५ मील	"
७-लेखाना-आयुध संघ	७-लेखाना-आयुध संघ	८०० मील से ८५१ मील	"
८-लेखाना-आयुध संघ	८-लेखाना-आयुध संघ	१ मील से ६ मील	"
९-लेखाना-आयुध संघ	९-लेखाना-आयुध संघ	भूमि से २ फ० १०६ फीट तक	"
१०-लेखाना-आयुध संघ	१०-लेखाना-आयुध संघ	भूमि से ६५० फीट तक	"
११-लेखाना-आयुध संघ	११-लेखाना-आयुध संघ	भूमि से ४ फ० १० फीट तक	"
१२-लेखाना-आयुध संघ	१२-लेखाना-आयुध संघ	२.४२६ से १५.३३२०	"
१३-लेखाना-आयुध संघ	१३-लेखाना-आयुध संघ	४.००० से ६.४२६०	"
१४-लेखाना-आयुध संघ	१४-लेखाना-आयुध संघ	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
१५-लेखाना-आयुध संघ	१५-लेखाना-आयुध संघ	१ से ५ मील	"
१६-लेखाना-आयुध संघ	१६-लेखाना-आयुध संघ	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
१७-लेखाना-आयुध संघ	१७-लेखाना-आयुध संघ	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
१८-लेखाना-आयुध संघ	१८-लेखाना-आयुध संघ	८०४ मील ५४८ फ० से ८०५ मील २ फ० ७० फीट तक	"
१९-लेखाना-आयुध संघ	१९-लेखाना-आयुध संघ	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
२०-लेखाना-आयुध संघ	२०-लेखाना-आयुध संघ	१ मील ४८८ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	"
२१-लेखाना-आयुध संघ	२१-लेखाना-आयुध संघ	५६ मील से ९१ मील	"
२२-लेखाना-आयुध संघ	२२-लेखाना-आयुध संघ	२४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक	"
२३-लेखाना-आयुध संघ	२३-लेखाना-आयुध संघ	२ मील से ३१ मील	"
२४-लेखाना-आयुध संघ	२४-लेखाना-आयुध संघ	७७ मील से १० मील	"
२५-लेखाना-आयुध संघ	२५-लेखाना-आयुध संघ	७३ मील से २१ मील तक	"
२६-लेखाना-आयुध संघ	२६-लेखाना-आयुध संघ	भूमि से ३ मील तक	"
२७-लेखाना-आयुध संघ	२७-लेखाना-आयुध संघ	० मील तक	"
२८-लेखाना-आयुध संघ	२८-लेखाना-आयुध संघ	२४ मील से ५३ मील ३ फ० तक	"

(Handwritten signature)

प्रभालीय बन्नाधिकारी
का प्रमाण, अम्बेडकरबन्द

क्षेत्रीय वन अधिकारी
अम्बेडकरबन्द

(Handwritten signature)

क्र.सं.	नाम	पूरी मी०, फ० और फीटों में	विषय
४	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड और मातृशाला रोड	०-०-० से ०-०-५५९	भूमि की सीमा पराधीन कर में विलीन की गई है।
५	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	०-०-० से ०-१-३३८	"
६	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	०-०-० से ०-२-४१३	"
७	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड के ६२० मीटर ३ फुट से १०० मीटर तक	"
८	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	०-०-० से १-६-४५० तक	"
९	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	६२६ मीटर ३ फुट कीर्ति रोड से कीर्ति रोड के ८ मीटर पर	"
१०	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर १ से मीटर ४ तक	"
११	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर १ से मीटर ९ तक	"
१२	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर १ से मीटर ८ तक	"
१३	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर १ से मीटर ४ तक	"
१४	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	भूमि से मीटर ५२ तक	"
१५	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर ३१ से मीटर ५० फुट तक	"
१६	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	भूमि से मीटर १० फुट तक	"
१७	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर १ फुट ५ कीर्ति रोड से मीटर २७ तक	"
१८	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर ११ से मीटर ११६ तक	"
१९	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	"	"
२०	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	फुट २, फीट २२६ से मीटर १८ फुट ० फीट २१६ तक	"
२१	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	भूमि से मीटर ८ तक	"
२२	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	भूमि से १० मीटर ४ फुट ३२४ फीट तक	"
२३	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर ३ से मीटर ३१ तक	"
२४	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर २५ से मीटर ४९ तक	"
२५	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	भूमि से मीटर २५ तक	"
२६	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	मीटर १०६ से मीटर १२५ तक	"
२७	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	भूमि से मीटर ४ तक	"
२८	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	११ मीटर ३ फुट से ३१ मीटर तक	"
२९	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	भूमि से ५७ मीटर से ५७ मीटर ४ फुट तक	"
३०	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	५१२ मीटर ३ फुट ३१ फीट से ४७८ मीटर तक	"
३१	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	भूमि से २८ मीटर ३ फुट ७२ फीट तक	"
३२	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	९ मीटर ८ फुट से २४ मीटर ८ फुट तक	"
३३	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	५०१ मीटर से ५४२ मीटर तक	"
३४	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	१ मीटर से २८ मीटर तक	"
३५	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	१ मीटर से ५ फुट तक	"
३६	राजस्थान गृह विभाग के अधीन कीर्ति रोड	१ मीटर तक	"

राजस्थान राज्य सरकार
 जयपुर, अन्वेषण विभाग

(Handwritten signature)

राजस्थान राज्य सरकार
 जयपुर, अन्वेषण विभाग

(Handwritten signature)
 राजस्थान राज्य सरकार
 जयपुर, अन्वेषण विभाग